

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय, एनएचएम स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

No. F. 20 (119-III)/NHM/HRD/2019/ 559

Date: 8/3/2019

आदेश

एनएचएम अन्तर्गत संविदा आयुष चिकित्सक-आरबीएसके के पद पर कार्यरत निम्न संविदा कार्मिको का रिलोकेशन पॉलिसी आदेश क्रमांक 499 दिनांक 02.03.2010 के बिन्दु संख्या 1(v) में निहित प्रावधानो के तहत निम्नानुसार तुरन्त प्रभाव से रिलोकेशन किया जाता है:-

| क्रसं. | नाम व पदनाम | रिलोकेशन कहां से | रिलोकेशन कहां को |
|--------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | डॉ. चेष्टा पूनियां आयुष चिकित्सक-आरबीएसके | ब्लॉक पिण्डवाड़ा, सिरौही | ब्लॉक फलोदी, जोधपुर |
| 2 | डॉ. सिन्धु आयुष चिकित्सक-आरबीएसके | ब्लॉक डूंगरपुर, डूंगरपुर | ब्लाक आसीन्द, भीलवाड़ा |
| 3 | डॉ. हमेन्त कुमार दांतला आयुष चिकित्सक-आरबीएसके | ब्लॉक परतापुर, बासवाड़ा | ब्लॉक सज्जनगढ़, बांसवाड़ा |
| 4 | डॉ. रमा दाधीच आयुष चिकित्सक-आरबीएसके | ब्लॉक रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ | ब्लॉक भदेसर, चित्तौड़गढ़ |
| 5 | डॉ. सुप्रित कौर आयुष चिकित्सक-आरबीएसके | ब्लॉक भदेसर, चित्तौड़गढ़ | ब्लॉक रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ |
| 6 | डॉ. लक्ष्मी मेहता आयुष चिकित्सक-आबीएसके | ब्लॉक बकानी, झालावाड़ | ब्लॉक खानुपर, झालावाड़ |
| 7 | डॉ. बबीता पाटीदार आयुष चिकित्सक-आबीएसके | ब्लॉक खानपुर, झालावाड़ | ब्लॉक बकानी, झालावाड़ |
| 8 | डॉ. मोहम्मद साबिर खान आयुष चिकित्सक-आबीएसके | ब्लॉक आबूरोड़, सिरौही | ब्लॉक नवलगढ़, झुझुनू |

(डॉ. समित शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री/राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक एनएचएम।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम जयपुर।
5. परियोजना निदेशक-आरबीएसके, जयपुर।
6. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संबंधित जोन।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिले।
9. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक, एनएचएम, संबंधित जिले।
10. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संबंधित ब्लॉक।
11. वर्णित संविदा कार्मिको को पालनार्थ।
12. प्रभारी सर्वर रूम को वास्ते समस्त संबंधितो को ई-मेल करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम